संख्या-02/2023/I/292768/2023/फाइल नं0-86-01002(003)/1/2021

प्रेषक,

हृदय नारायण सिंह यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2023

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आगरा में चेकगेट्स और मिनी कमाण्ड सेन्टर की स्थापना हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0-3258/एस-749/2022, दिनांक 14.02.2023 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-12/86-2022-01(बजट)/2019टी0सी0, दिनांक 05.01.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आगरा में आर.एफ.आई.डी. आधारित 02 चेकगेट्स और 01 मिनी कमाण्ड सेन्टर की स्थापना हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 29,90,488/- (रूपये उन्तीस लाख नब्बे हजार चार सौ अट्ठासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं-

i. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-31/2022/वी-2-325/दस-2022-244/2022 दिनांक 14.12.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

iv. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की गई सामग्री/उपकरणों/मशीनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

v. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री/उपकरणों/मशीनों के क्रय में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

vi. आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित की जायेगी।

vii. सामग्री/उपकरणों/मशीनों के क्रय सम्बन्धी नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, आगरा का होगा।

ix. यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, आगरा का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

x. शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, आगरा का होगा।

xii. शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, आगरा तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी /वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

xiii. शासनादेश संख्या-12/86-2022-01(बजट)/2019टी0सी0, दिनांक 05.01.2022 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. उपर्युक्त कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के पूंजीगत लेखाशीर्षक-4853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01 खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था के मानक मद-"26 मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-31/2022/बी-2-325/दस-2022-244/2022 दिनांक 14.12.2022 में निहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहा हैं।

भवदीय,
हृदय नारायण सिंह यादव
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक :तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा।
5. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. खान अधिकारी, आगरा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।